जलवायु परिवर्तन: विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों द्वारा बेहतर प्रदर्शन

साभार: फाइनेंसियल एक्सप्रेस

13 नवंबर, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

यहां तक कि जलवायु परिवर्तन के प्रयासों पर वार्ता के शुरुआती वर्षों में, यह स्पष्ट था कि विकसित देशों को न केवल इन प्रयासों का नेतृत्व करना है, बल्कि विकासशील राष्ट्रों को भी अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद करना है। इसके लिए, पेरिस के जलवायु समझौते के लक्ष्य स्वीकार्य थे। हालांकि, पिछली बार चेतावनी दी गई थी, पिछले साल राष्ट्रपति अभियान के दौरान भी, कि ट्रम्प प्रशासन समझौते से बाहर निकल जाएगा और इस साल जून में इसे अंजाम भी दे दिया गया। हांलाकि, जहां तक राष्ट्रपति ट्रम्प की घोषणा के बाद से जलवायु संबंधी विचार विमर्श में अमेरिका के भाग न लेने का अनुमानों का प्रश्न है, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 28 विशेषकर 28.1 और 28.2 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोई भी पक्ष (देश) समझौता लागू होने के तीन वर्ष बाद, 4 नवम्बर, 2019 से पहले इससे हटने की अधिसूचना नहीं दे सकता। उसके बाद किसी देश की इस समझौते से हटने की न्यूनतम अवधि 12 महीने है, जो 5 नवम्बर, 2020 से पहले मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि 5 नवम्बर, 2020 तक अमेरिका पेरिस समझौता पूरी तरह सदस्य बना रहेगा और इस समझौते में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने सहित इसके विभिन्न नियमों और व्यवस्थाओं से संबंधित विचार-विमर्श में भाग ले सकेगा।

इतना ही नहीं, अनुच्छेद 16 में पहले से किए गए प्रावधान के अनुसार पेरिस समझौते के मूल यूएनएफसीसीसी के एक पक्ष के रूप में अमेरिका समझौते से संबंधित विचार-विमर्श में भाग ले सकता है। उपरोक्त घटनाक्रमों का आकलन अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले मतदान के संदर्भ में भी किया जा सकता है, जो संवैधानिक तौर पर नवम्बर के पहले मंगलवार को कराए जाते हैं, जो 2 नवम्बर, 2020 को होगा। यह भी देखा जा सकता है कि समझौते से हटने के लिए नोटिस शायद इस तारीख से बहुत पहले, उदाहरण के तौर पर, नवम्बर 2019 को ही भेज दिया जाए और वर्तमान राष्ट्रपति इसके बाद भी, जनवरी, 2021 तक सत्ता में बने रहें। सैद्धांतिक रूप से, बेशक नया राष्ट्रपति 2021 में फिर से पेरिस समझौते में शामिल हो सकता है, लेकिन आज इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि अमेरिका वर्तमान में ट्रम्प की घोषणा के फॉलो अप के रूप में और प्रमुख देश होने के नाते संयुक्त राष्ट्र में कथित औपचारिक कार्यवाही कर रहा होगा और केवल कार्यवाही का कंटेंट ही हमें बता सकता है कि अमेरिका वास्तव में बाहर जाने की प्रक्रिया को कैसे करना चाहता है। जैसा कि बाकी दुनिया अमेरिका के बाहर निकलने से उत्पन्न परिणामों को कम करने का प्रयास कर रहा है, जहाँ अमेरिका ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के साथ-साथ सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रदूषक भी है, दूसरा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, एप्लाइड सिस्टम विश्लेषण और नीदरलैंड्स पीबीएल के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार कई विकसित देश 2030 के लिए अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे।

अध्ययन में 25 देशों / आर्थिक यूनियनों का मूल्यांकन किया गया है, जिनका वर्ष 2012 में कुल जीएचजी उत्सर्जन में 79% योगदान था। 25 में से, 16 से ज्यादा यूरोपीय संघ, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित क्षेत्राधिकारों सहित और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और फिलीपींस, अपने मौजूदा नीतिगत कार्यों और परिणामी उत्सर्जन के अंतराल पर अपने लक्ष्यों को कम करेगा। इसके विपरीत भारत और चीन अक्सर, वे वास्तव में इन्हें जितने खराब जलवायु खलनायक के रूप में चित्रित किये गया हैं, वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के लिए समय समाप्त हो रहा है, किसी भी सार्थक प्रभाव के लिए ऑफ-ट्रैक देशों को जल्दी नीतियों को पुन: संशोधित करने की आवश्यकता है। कनाडा, जो सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति प्रदूषक में से एक है, ने नए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए एक कार्बन मानक स्थापित किया है, लेकिन इस मानक को मौजूदा संयंत्रों पर लागू नहीं किया गया है, इन संयंत्रों के उत्सर्जन से बहुत कम कमी की जाएगी।

शेष राशि पर कनाडा 2005 के स्तर से नीचे 17% तक उत्सर्जन को कम करने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायेगा। इसके विपरीत, भारत ने 2030 तक 2005 के स्तर के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की प्रति यूनिट की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का वचन दिया है और CO2 के 2.5 से 3 गीगाटनों का एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए अनुमान लगाया है। वर्तमान नीतियों के साथ यह 2030 तक कुल क्षमता में गैर-जीवाश्म-ईंधन आधारित बिजली का हिस्सा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है (अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की सहायता से)। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करना सही कदम है और ऐसा शीर्ष राजनीतिक स्तर पर पहले ही किया जा चुका है। निकट भविष्य में जलवायु के संदर्भ में नेतृत्व उन्हीं देशों द्वारा किया जाना चाहिए, जिनके यहां ऐतिहासिक दायित्वों का शीर्षतम स्तर है। भारत को अपनी नेतृत्वकारी भूमिका सौर और अन्य गैर-जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन तथा विविध अनुकूलन कार्यों में निभानी चाहिए। भारत की मसौदा बिजली योजना के अंतर्गत, सरकार 2026 तक कोयला-आधारित क्षमता 250 जीडब्ल्यू पर स्थिर करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि नवीकरणीय क्षमता 275 गीगावॉट तक विस्तार कर रही है। यदि इस दृष्टि का एहसास हो गया है, तो भारत का उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा, जिससे इसके लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा। ब्राजील और चीन के इसी तरह के प्रयास जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए नेतृत्व की भूमिका ग्रहण करने की तत्परता इच्छुकता दिखाते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर विकसित देशों को इन देशों से सीख लेनी चाहिए।

जैविक खेती बनाम रासायनिक कीटनाशक खेती

बिजनेस एंड क्लाइमेट शिखर सम्मेलन

- बिजनेस एंड क्लाइमेट शिखर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित व्यवसायों, निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिये प्रमुख वार्षिक फोरम है।
- यह वह जगह है जहाँ विश्व भर के व्यापार संघ एवं सरकारें एकसाथ मिलकर जलवायु परिवर्तन के संबंध में विचार-विमर्श करने के साथ-साथ आगे की योजना बनाते हैं।
- इसके अंतर्गत आगामी आधी शताब्दी के अंदर नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के संबंध में रोडमैप बनाया जाता है।
- इस प्रकार का शिखर सम्मेलन इस बात को दर्शाता है कि कम कार्बन उत्सर्जन रणनीति व्यापार और विकास के लिये कितनी लाभदायक होती है।
- बी.सी.एस. के अंतर्गत व्यवसायों में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में व्यवसायों को एक मुख्य कुंजी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इसकी सफलता के लिये व्यवसायों एवं सरकारों के मध्य सहयोग होना बहुत जरुरी है।

सम्मेलन में भाग लेने वाले लोग

- बी.सी.एस. में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों, वरिष्ठ व्यवसायिक अधिकारियों और मीडिया के समूह शामिल होते हैं।

उद्देश्य तथा कार्य

- इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विचार-विमर्श एवं चर्चा का आयोजन करके समस्त विश्व को इस संबंध में समाधान निकालने तथा नीतिगत प्राथमिकताओं का अनुपालन करने की ओर अग्रसर करना है।
- इसके लिये सभी कंपनियों द्वारा इस संदर्भ में सुझाए गए समाधानों, निर्णयों, उपायों और तकनीकों के विषय में न केवल अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को जानकारी प्रदान की जाती है, बल्कि समस्त विश्व में जलवायु परिवर्तन की दिशा में सहयोग करने हेतु जागरूकता बढ़ाने संबंधी कार्य भी किया जाता है।
- साथ ही इसके अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सभी प्रकार के नीतिगत निर्णयों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित उद्देश्यों को मुख्य प्राथमिकता प्रदान की जाए।

पेरिस समझौता

- पेरिस समझौते को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने और कम करने की दिशा में अब तक का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। लेकिन पेरिस समझौता क्या है यह समझने से पहले सीओपी के बारे में जानना जरूरी होगा।
- यूएनएफसीसीसी में शामिल सदस्यों का जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन-कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) कहलाता है।
- ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर और फिर कम करने और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिये सन 1994 में यूएनएफसीसीसी का गठन हुआ था। उसके बाद से सीओपी के सदस्य प्रत्येक वर्ष मिलते रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि दिसम्बर 2015 में पेरिस में हुई सीओपी की 21वीं बैठक में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के जरिये वैश्विक तापमान में हुई वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने को लेकर एक व्यापक सहमति बनी थी। इस बैठक के बाद सामने आए 18 पन्नों के दस्तावेज को सीओपी-21 समझौता या पेरिस समझौता कहा जाता है।

क्यों महत्त्वपूर्ण है पेरिस समझौता?

- ग्रीनहाउस गैस-उत्सर्जन से संबंधित वर्तमान प्रतिबद्धता (क्योटो प्रोटोकॉल) 2020 में समाप्त हो जाएगी। अत: पेरिस समझौते से ही तय होगा कि वर्ष 2020 के बाद क्या किया जाना चाहिये।
- भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिये कृषि, जल संसाधन, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर भारी निवेश की जरूरत है और इसके लिये समझौते में प्रावधान किया गया है कि विकसित देश अपने विकासशील समकक्षों को सालाना 100 बिलियन डॉलर देंगे।
- पेरिस समझौता भारत के लिये इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है कि यहाँ भारत विकासशील और विकसित देशों के बीच अंतर स्थापित करने में कामयाब रहा है।
- हालाँकि यही वे बिंदु हैं जिनका हवाला देते हुए अमेरिका खुद को पेरिस समझौते से अलग करने की घोषणा कर चुका है।

ग्लोबल वार्मिंग

- प्राकृतिक संसाधनों के अत्याधिक दोहन और मानवीय क्रियाओं के कारण वायुमंडल में कार्बन-डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है।
- कार्बनडाई ऑक्साइड जैसी गैसें ऊष्मा को रोककर पृथ्वी को गर्म रखने का कार्य करती हैं। यदि वायुमंडल में कार्बन-डाइऑक्साइड उपस्थित न होती तो पृथ्वी एक बर्फीले रेगिस्तान से अधिक और कुछ नहीं होती।
- लेकिन, वायुमंडल में CO_2 की मात्रा बढ़ने से जितनी ऊष्मा पृथ्वी को गर्म रखने के लिये चाहिये उससे कहीं ज्यादा ऊष्मा CO_2 द्वारा रोक ली जा रही है, जिसके कारण औसत तापमान में खतरनाक वृद्धि हुई है।
- यही ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना है और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलेगी, समुद्र का जल-स्तर बढ़ेगा और दुनिया के कई बड़े शहर जलमग्न हो जाएंगे।
- विदित हो कि वर्ष 1880 में जब पहली बार औसत वार्षिक तापमान की गणना की गई थी, तब से तुलना करें तो वर्ष 2016 के औसत वार्षिक तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है।
- ऐसा अनुमान किया जाता है कि आज के तापमान और आखिरी हिमयुग के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक मात्र तरीका कार्बन-डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है।

संभावित प्रश्न

जलवायु परिवर्तन के प्रति विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की प्रतिबद्धता साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस कथन के संदर्भ में विकसित देशों के समक्ष पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाने में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिये। साथ ही भारत की प्रतिबद्धताओं पर चर्चा करते हुए वर्तमान संदर्भ में पेरिस समझौते के महत्त्व पर प्रकाश डालें। **(200 शब्द)**

Developing countries commitment to climate change can be clearly seen in comparison to developed countries. In the context of this statement, mention the challenges faced by the developed countries before meeting the goals of the Paris Convention. As well as discussing the commitments of India, highlight the importance of the Paris Convention in the current context. **(200 words)**